

संख्या : सी.टी. 12-1/स्कूल बस/2023- 10760
परिवहन निदेशालय
हिमाचल प्रदेश

सेवा में

1. निदेशक उच्च शिक्षा विभाग, हिंप्र०, शिमला-२
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, हिंप्र०, शिमला-२
3. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, सुब्दरगढ़, जिला मण्डी, हिंप्र०।
4. निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिंप्र०, शिमला-९
5. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, हिंप्र०, शिमला-९
6. रजिस्ट्रार समर्त विश्वविद्यालय, हिंप्र०

शिमला- 171004..... 19/05/2023

विषय:- शिक्षण संस्थानों द्वारा पिकनिक/भ्रमण पर हायर (Hire) की जाने वाली बसों/वाहनों से सम्बन्धित दिशा-निर्देश ।

महोदय,

परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के निरीक्षण के दौरान यह देखा जा रहा है कि जो बसें या अन्य वाहन शिक्षण संस्थानों द्वारा पिकनिक/ भ्रमण पर जाने हेतु हायर किए जाते हैं उन वाहनों की स्पैशल परमिशन नहीं होती हैं । इसके अतिरिक्त ऐसे वाहनों के अन्य दस्तावेज़ जैसे कि परमिट, फिटनेस, छव्व्योरेन्स, प्रदुषण प्रमाण पत्र, टैक्स इत्यादि का वैद्य होना भी आवश्यक हैं ।

विभाग द्वारा यह भी देखा गया है कि शिक्षण संस्थानों द्वारा हायर की गई बसों/वाहनों में क्षमता से अधिक सवारियाँ/ विद्यार्थी होते हैं जिसे कारण अक्सर दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ समर्त शिक्षण संस्थानों को उचित दिशा-निर्देश जारी कर यह सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षण संस्थानों द्वारा पिकनिक/भ्रमण पर हायर की जाने वाली बसों/वाहनों के दस्तावेज़ पूर्णतया: सही हों तथा ऐसे वाहन सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से स्पैशल परमिशन प्राप्त करने के उपरान्त ही तय रुट पर प्रस्थान करें । इसके अलावा समर्त शिक्षण संस्थानों द्वारा विशेष ध्यान रखा जाए कि बसों/वाहनों में सीटिंग क्षमता से अधिक सवारियों/विद्यार्थियों को न बैठाया जाए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित दुर्घटना से बचा जा सके । ।

भवदीय

अनुपम कश्यप
निदेशक परिवहन
हिमाचल प्रदेश

G.II
Date 1/5/2019
प्रतिलिपि:-
20/05/2019

- प्रधान सचिव (परिवहन), हिंप्र० सरकार को सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. महानिदेशक पुलिस, हिंप्र०, शिमला-२ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है ।
 3. समर्त उपायुक्त, हिंप्र० को उचित एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है ।
 4. समर्त पुलिस अधीक्षक, हिंप्र० को उचित एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है ।
 5. समर्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश को निर्देश दिए जाते हैं कि वह पिकनिक/भ्रमण पर हायर की जाने वाली बसों को स्पैशल परमिशन जारी करते समय विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या-1081593 दिनांक 31.10.2019 (प्रतिलिपि संलग्न) में निहित दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें ।

Endst No. EDN-4(G-II) Elem/Road Safety-2018-19 - 1844 25/05/2019
Forwarded in original to All Principal/Headmaster/
Incharges of GSSS/GHS/GMS, All BECEES, All Privately
Managed Schools in Distt. Una for information
and Compliance.

निदेशक परिवहन
हिमाचल प्रदेश



O/o the Directorate of Transport (HP) Shimla-04
Contact No: 0177-2803136 (Email: transport-hp@nic.in)
कार्यालय: शिमला, पुरियन १८०५०, शिमला-171004,
फ़ोन नंबर: ०१७७-२८०३१३६ (ईमेल: transport-hp@nic.in)



No. CT-9-Instruction- 1081533

To

All Regional Transport Officer
Himachal Pradesh

Dated: - Shimla-171004 the 31/07/2019

Subject: - Regarding special permission of stage carriage route permit.

Sir,

This is in continuation to this office D.O. No. CT-9-Instruction-1079777 dated 17.07.2019 on the subject cited above.

It had been a regular practice in the State that Private bus operators obtain special permits to cater to the needs of people of state for marriage/ religious function or picnic parties/study tours etc and in many such cases alternate arrangement for the route from which the bus is being withdrawn was not taken in to consideration. This, in many cases resulted into inconvenience to the public and in some cases it led to the situation of over-loading where adequate transport facilities were not left to cater to the need.

Hence in order to regulate public transport operations in the state, above instructions vide DO letter number D.O. No. CT-9-Instruction-1079777 dated 17.07.2019 were issued. Though achieved its objective to some extent but as indicated by representations received from public as well as private transporter associations/individual transporters, it indicates that complete denial of special permit has led to inconvenience to general public.

After taking considered view on this issue it has been decided that henceforth, RTO will grant the special permission to the stage Carriages buses while ensuring that no route will be suspended frequently and for long time. While granting the special permission the following facts may please be taken into the consideration:-

- i. Adequate Services are available on Single/remote route
- ii. Public convenience and safety is given due consideration
- iii. The endeavour should be to withdraw surplus bus from the areas/routes where adequate service is available for the public.
- iv. Grant of special permit does not lead to the situation of overloading for the want of adequate services.

[Signature]
Yours faithfully,

(Capt. J.M. Pathania, IAS)
Director Transport
D/C
Himachal Pradesh